पत्र संख्या-वैट/विधि-1(1)/09-10-शीर्ष समिति /24-3-09 / 285 / 0910028 //वाणिज्य कर ।

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : जून, 29 ,2009

महोदय,

कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-विधि-1(1)शीर्ष विधि समिति-(09-10)-237/वाणिज्य कर, दिनांक 17-6-09 द्वारा वैट अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (17) के अन्तर्गत दि0 1-1-08 से 31-3-08 की अवधि में किसी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों का आडिट कराये जाने अथवा न कराये जाने की आवश्यकता के बिन्दु पर शासन को संदर्भित किया गया था। इस सम्बन्ध में शासन ने पत्र संख्या- क0नि0-1433/11-2-2009-9(10)/08-टी0सी0-बी, दि0 29-6-09 द्वारा सूचित किया है कि विधिक प्राविधानों को देखते हुए वर्ष 07-08 की अवधि दिनांक 1-1-08 से 31-3-08 तक के लिए लेखा पुस्तकों का आडिट कराया जाना आवश्यक नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों, अधिवक्ता संघा एवं व्यापारिक संघों को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-29-6-09
(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

**पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1433/11-2-2009-9(10)/08-टी0सी0-बी, दिनांक 29-6-09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कम्प्यूटर) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे शीघ्र ही इन्टरनेट पर डलवाने का कष्ट करें।

ह0/-29-6-09
(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।